प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-106/2025 दिनांक 16.04.2025)
दिनांक-16.04.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

पुलिस मुठभेड़ में 25000/ रुपये का ईनामी एक पशु तस्कर घायल/गिरफ्तार, अवैध तमन्चा मय कारतूस आदि बरामद-

जनपद कुशीनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2025 को थाना रविन्द्रनगर धूस क्षेत्रान्तर्गत एक पशु तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना रविन्द्रनगर धूस, थाना कुबेरस्थान व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना रविन्द्रनगर धूस क्षेत्रान्तर्गत पकड़ी बुजुर्ग बाईपास पुलिया के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आते दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया जिसकी पहचान क्यामुद्दीन अंसारी पुत्र नियाज अंसारी निवासी खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर के रुप में हुई जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस,तीन खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर, एक कीपैड मोबाइल फोन व अपराध से अर्जित 1270/- रुपये नगद बरामद किया गया है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को दवा ईलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त क्यामुद्दीन अंसारी थाना रविन्द्रनगर धूस के मु0अ0सं0 38/2025 धारा 111(2)(B) bns व 3/5A/ 8 गौवध निवारण व 11 पशु क्रूरता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा था,

Edit with WPS Office

जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25000/ रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-
1- क्यामुद्दीन अंसारी पुत्र नियाज अंसारी निवासी खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर (25000/ रुपये का ईनामी)

विवरण बरामदगी:-
1-एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस,तीन खोखा कारतूस,
2-एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर,
3-एक कीपैड मोबाइल फोन
4- अपराध से अर्जित 1270/- रुपये नगद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 38/2025 धारा 111(2)(B) bns व 3/5A/ 8 गौवध निवारण व 11 पशु क्रूरता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-
1-नि0 आशुतोष कुमार सिंह प्रभारी स्वाट जनपद कुशीनगर मय टीम
2-निरीक्षक श्री अमित शर्मा स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
3-थानाध्यक्ष श्री स्वतंत्र सिंह थाना कुबेस्थान जनपद कुशीनगर मय टीम
4.थानाध्यक्ष श्री शरद भारती थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर मय टीम
5-उ0नि0 श्री आलोक यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर मय टीम
नोट- पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिये पुलिस टीम को 25,000/- रुपये के ईनाम से पुरस्कृत किया गया।

थाना को0 हाटा क्षेत्रांतर्गत पूजा-पाठ के दौरान अराजकता फैलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

आज दिनांक 16.04.2025 को थाना कोतवाली हाटा क्षेत्रांतर्गत ग्राम विशुनपुरा उर्फ ठूठी में चल रहे पूजा-पाठ के कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा अराजकता फैलाया गया जिसमें रोशन यादय पुत्र राधेश्याम यादव सा0 विशुनपुर उर्फ ठूठी थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली हाटा पर मु0अ0स0 221/2025 धारा 189(2)/298/352/351(3)/326(F) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर 02 अभियुक्तों 1-विशेष पुत्र वीरेन्द्र राही, 2-टाईगर पुत्र दिनेश

Edit with WPS Office

निवासीगण सुकरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य बार अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0स0 221/2025 धारा 189(2)/298/352/351(3)/326(F) बीएनएस थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
1. विशेष पुत्र विरेन्द्र राही साकिन- सुकरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. टाइगर पुत्र दिनेश साकिन- सुकरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. एक बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में)

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री अमरनाथ सोनकर थाना को0 हाटा कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री राहुल सिंह थाना को0 हाटा कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री आनन्द मोहन सिंह यादव थाना को0 हाटा कुशीनगर
5. का0 धर्मेन्द्र सिंह यादव थाना को0 हाटा कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 56 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-55 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-40, व्यक्ति-114
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-59)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office